न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर संभाग, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी :– डॉ. प्रतिभा सिंह, आई.ए.एस.

आर्म्स अपील संख्या 15/2025

अपीलाण्ट्स :–

कुनाल परिहार पुत्र कपील परिहार,
निवासी– बजुरिया फार्म, कॉलेज रोड़,
शिवगंज जिला सिरोही

बनाम

रेस्पोडेन्ट :–

1. जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

अपील अन्तर्गत धारा 18 आयुध अधिनियम 1959 विरूद्ध आदेश जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही क्रमांक प. 21 (1)( ) न्याय/2023/3151 दिनाक 18.12.2023 को पारित किया गया

उपस्थिति :–

1. श्री जगतवीरसिंह देवडा, विद्वान अधिवक्ता, अपीलाण्ट की ओर से।
2. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेण्ट की ओर से।

:: **निर्णय** ::

**दिनांकः– 11 फरवरी, 2026**

1. अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ कार्यालय जिला कलेक्टर, सिरोही के आदेश क्रमांक प. 21(1 )()न्याय/2023/3151 दिनाक 18.12.2023 के द्वारा अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 29.05.2023 जिसमें शस्त्र अनुज्ञा हेतु निवेदन किया गया था, को खारिज कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलाण्ट द्वारा यह अपील दिनांक 18.01.2024 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2. पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। बहस उभयपक्षकारान् की सुनी गई। अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया गया कि शस्त्र अनुज्ञप्ति प्रदान किये जाने हेतु आवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ कार्यालय के द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक, सिरोही, पुलिस अधीक्षक, सीआईडी, जयपुर, उपवन सरंक्षक, सिरोही तथा तहसीलदार शिवगंज से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तत्पश्चात कार्यवाही करते हुए जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के द्वारा दिनांक 18.12.2023 को उक्त शस्त्र अनुज्ञापत्र हेतु किये गये आवेदन को निरस्त कर दिया गया।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

3. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी अभिकथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक, सिरोही की रिपोर्ट को उनके आवेदन को खारिज करने का आधार बनाया गया है जिसमें अपीलान्ट के विरूद्ध पुलिस थाना बेकरिया जिला उदयपुर में प्रकरण दर्ज होने तथा अपीलान्ट को किसी प्रकार का खतरा नहीं होने का उल्लेख किया गया है, जो आवेदन खारिज करने का उचित एवं विधि अनुसार आधार नहीं है। पुलिस थाना बेकरिया में दर्ज प्रकरण संख्या 62/2016 अन्तर्गत धारा 279, 337 आईपीसी के अपराध का है जो तुच्छ अपराध की श्रेणी में आता है और हिंसा या नैतिक दुराचरण की तारीफ में नहीं आता है।

4. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी अभिकथन किया कि जिला पुलिस अधीक्षक, सिरोही की रिपोर्ट के क्रम संख्या 7 पर उल्लेख किया गया था कि आवेदक को व्यक्तिगत रूप से कोई खतरा नहीं है और ना ही आवेदक द्वारा पूर्व में स्वयं के खतरे के लिये कोई लिखित रिपोर्ट थाने में पेश की गई है, जिला कलेक्टर के द्वारा इन तथ्यों के अलावा अन्य रिपोर्ट को कोई तवज्जों नहीं दी गई है जिसमें अपीलान्ट के बजुरिया कृषि फार्म होने के साथ स्वयं का पेट्रोल पम्प है जिसका वह संचालन स्वयं करते है। उक्त कार्य हेतु रूपयों को लाने–ले जाने हेतु बैंक जाना पड़ता है तथा इस दौरान लूटपाट होने की संभावना व बड़ा व्यवसायी होने से माफिया व असामाजिक तत्वों से खतरा होने की पूर्ण संभावना है। फलस्वरूप आत्मरक्षार्थ एवं सम्पति की रक्षार्थ नवीन रिवाल्वर/पिस्टल क्रय करने हेतु अनुज्ञापत्र दिया जावे तो कोई आपत्ति नहीं है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रार्थी को शस्त्र अनुज्ञप्ति प्रदान किया जाना आवश्यक था।

5. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी अभिकथन किया कि प्रदेश में हाल ही में माफिया एवं गेंगस्टर्स के आतंक की घटनाएं काफी हो रही है। फलस्वरूप अपीलार्थी के साथ कभी भी अपहरण, फिरोती, डकैती, लूट, चोरी इत्यादि से अनहोनी घटना कारित होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। इसलिये अपने बचाव हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति की आवश्यकता सद्भाविक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन तथ्यों पर कोई गौर नहीं किया गया है।

6. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी अभिकथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी के आवेदन को खारिज करने का दूसरा कारण मेरी बहन को आत्मरक्षार्थ अनुज्ञापत्र जारी होना बताया है। उक्त आधार भी आवेदन खारिज करने हेतु आधार नहीं

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

हो सकता है क्योंकि विधि में यह कही उपबन्धित नहीं है कि परिवार में एक से अधिक सदस्यों को शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी नहीं किया जा सकता है। आयुध अधिनियम में उपबन्धित प्रावधानों के अनुसार आवेदक यदि मन्दबुद्धि हो, 21 वर्ष से कम आयु का हो या फिर हिंसा व नैतिक दुराचरण में शामिल हो तो ही अनुज्ञप्ति से मना किया जा सकता है। अपीलान्ट के इस प्रकरण में ऐसी कोई परिस्थिति रिकार्ड पर नहीं है तथा अपीलान्ट के प्रकरण में तलब की गई जॉच रिपोर्टस् भी सकारात्मक आई है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी ठोस एवं विधिक आधारों के अपीलान्ट के अनुज्ञप्ति आवेदन को खारिज कर दिया गया है।

7. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौराने सुनवाई फार्म नं. 3 के साथ दस्तावेज पेश करते हुए, उनका अवलोकन करवाते हुए यह अभिकथन किया है कि पुलिस थाना बेकरिया में दर्ज प्रकरण संख्या 62/2016 अन्तर्गत धारा 279, 337 आईपीसी के सम्बन्ध में न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, गोगून्दा, जिला उदयपुर में दर्ज हुए प्रकरण संख्या 519/2016 अनवान राज0 राज्य बनाम कुनाल परिहार में माननीय न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.03.2025 के द्वारा अपीलान्ट को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त घोषित कर दिया गया है और वर्तमान में अपीलान्ट के विरूद्ध कहीं भी किसी प्रकार का कोई प्रकरण दर्ज नहीं हो रखा है और अपीलान्ट शस्त्र अनुज्ञापत्र प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः अपीलान्ट उपरोक्त आधारों पर प्रस्तुत किये गये आवेदन के अनुसार वर्तमान समय में शस्त्र अनुज्ञप्ति प्राप्त करने का अधिकारी है और अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.12.2023 को अपास्त कर अपीलान्ट को शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी करने का आदेश प्रदान किया जावें।

8. प्रत्युतर में दौराने सुनवाई विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि जिला कलेक्टर सिरोही के समक्ष अपीलान्ट की ओर से तत्समय में शस्त्र अनुज्ञापत्र प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किये गये आवेदन के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक, सिरोही की रिपोर्ट को उनके आवेदन को खारिज करने का आधार बनाया गया है जिसमें अपीलान्ट के विरूद्ध पुलिस थाना, बेकरिया, जिला उदयपुर में प्रकरण दर्ज होने तथा जैर ट्रायल होने एवं अपीलान्ट को किसी प्रकार का खतरा नहीं होने का उल्लेख किया गया है एवं अपीलान्ट के आवेदन को खारिज किये जाने का जो अपीलाधीन आदेश

दिनांक 18.12.2023 को पारित किया गया है, वो विधि के अनुकूल व उचित होने से यथावत रखा जावे एवं अपीलान्ट की अपील खारिज की जावें।

9. हमने उपस्थित पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा की गई बहस पर चिन्तन एवं मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय/कार्यालय की पत्रावली का बगौर अवलोकन किया गया जिससे यह पाया गया है कि अपीलान्ट की ओर से शस्त्र अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु दिनांक 29.05.2023 को आवेदन पेश किये जाने पर जिला मजिस्ट्रेट,, सिरोही के द्वारा विभिन्न विभागों से इस बाबत रिपोर्ट तलब की गई। जिला पुलिस अधीक्षक, सिरोही के द्वारा दिनांक 26.07.2023 को प्रेषित रिपोर्ट में अपीलान्ट के विरूद्ध पुलिस थाना बेकरिया जिला उदयपुर में प्रकरण दर्ज होकर न्यायालय में चालान पेश किया जाकर जेर ट्रायल होने का उल्लेख किया गया है, साथ ही अपीलान्ट को व्यक्तिगत रूप से किसी प्रकार का खतरा नहीं होने व न ही खतरे के लिये कोई लिखित रिपोर्ट थाने में पेश किये जाने का उल्लेख किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट सिरोही के द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक सिरोही से प्राप्त उक्त रिपोर्ट को स्वीकार किये जाने के अतिरिक्त अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.12.2023 में यह भी दर्शाया गया है कि प्रार्थी की बहन सुश्री कोमल परिहार को आत्मरक्षार्थ शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी करने का निर्णय लिया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी किया जाना उचित नहीं मानते हुए तत्समय की परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए अपीलान्ट के प्रस्तुत किये शस्त्र अनुज्ञापत्र आवेदन दिनांक 29.5.2023 को अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.12.2023 के द्वारा खारिज/अस्वीकार किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि कारित नहीं की गई है।

10. अपीलान्ट ने शस्त्र धारण किये जाने के सम्बन्ध में ऐसे कोई तथ्य न तो अधीनस्थ कार्यालय के समक्ष कोई ठोस कारण अथवा अपने विरूद्ध किसी प्रकार का खतरा महसूस होना नहीं दर्शाया है और न ही कोई रिपोर्ट पुलिस थाना में दर्ज करवाई गई है जिससे उनको किसी से खतरा बताया है। मात्र आत्मरक्षार्थ एवं भविष्य के खतरे की संभावना होने के आधार पर शस्त्र क्रय किया जाना और अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन किया जाना उचित नहीं ठहराया जा सकता है। जिला मजिस्ट्रेट सिरोही ने अपीलान्ट के आवेदन को खारिज करने का जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.12.2023 पारित किया गया है, वह पूर्ण रूप से उचित एवं विधि के अनुकूल पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

नहीं है। ऐसे में हमारे विनम्र मत में अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत की गई अपील सारहीन व आधारहीन होने से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाई जाती है।

11. अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट की अपील खारिज की जाती है तथा जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.12.2023 को यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 11 फरवरी, 2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 प्रतिभा सिंह)
सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर